



Neutral Citation No - 2026:AHC:30162

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 2026 की 4060

नरेन्द्र सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अजय कुमार सिंह यादव, दिव्यांश

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: अरुण कुमार पाण्डेय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत प्रारंभ कार्यवाही, जो वाद संख्या 357/2023 (ग्राम समाज बनाम नरेन्द्र सिंह) के रूप में थी, आदेश दिनांकित 16.11.2023 द्वारा निक्षेपित कर दी गई थी। तर्क है कि उक्त आदेश के विरुद्ध, दिनांक 19.02.2024 को गाँव सभा के पैनल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर, कार्यवाहियाँ पुनः प्रारंभ की गईं जो विधि में अनुज्ञेय नहीं हैं। उन्होंने इस न्यायालय की समन्वयी पीठ द्वारा रिट-सी संख्या 2025 की 16386 (सोमपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य) में पारित आदेश दिनांकित 21.05.2025 पर निर्भरता व्यक्त की है।

2. प्रकरण पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 की ओर से सूचना स्वीकार की है तथा श्री अरुण कुमार पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

4. समस्त प्रतिवादियों को प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु चार सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात् दो सप्ताह के भीतर, यदि कोई हो, प्रत्युत्तर शपथ-पत्र दाखिल किया जाए।

5. इस प्रकरण को रिट-सी संख्या 2025 की 3295 के साथ संबद्ध कर सूचीबद्ध किया जाए।

6. अगली सूचीकरण की तिथि तक, प्रतिवादी संख्या 2/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार, मिलक, रामपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.09.2025 एवं 11.09.2024 का प्रवर्तन स्थगित रहेगा।

11 फरवरी, 2026

सकलैन

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"